


27

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर ₹ ५००००

R.5092-4/15

AHU
6.10.15



4.201.

श्रीराम साहू पिता स्व० रामपिथारे साहू उम्र 55 साल निवासी ग्राम चिनगो तहसील चितरंगी जिला सिगरौली हाल मुकाम ग्राम पंजरेल थाना मोरबा

श्री. प. जे. ल. सि. के. द्वारा आज दिनांक 6.10.15 को प्रस्तुत किया गया।

तहसील व जिला सिगरौली ₹ ५००००

निगरानीकर्ता

बनाम

सर्किट कोर्ट रीवा मोहन लाल साहू पिता श्री बबई साहू उम्र 56 साल निवासी ग्राम चिनगो

पोस्ट पतेरी थाना बरगवा तहसील चितरंगी जिला सिगरौली ₹ ५००००

2. नायव तहसीलदार तहसील चितरंगी जिला

सिगरौली ₹ ५००००

3. हल्का पटवारी हल्का चिनगो तहसील चितरंगी जिला सिगरौली

₹ ५००००

गैरनिगरानीकर्ता गण

निगरानी विस्तृत व्यवस्थापन आदेश न्यायालय नायव तहसीलदार चितरंगी पूर्व जिला सीधी वर्तमान जिला सिगरौली के राजस्व प्रकरण क्रमांक 65/19/1/2001-02 पारित आदेश दिनांक 26-11-2002.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई० ।

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5092-दो/2015

जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18 -11-2016	<p>आवेदक अभिभाषक प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।</p> <p>2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार चितरंगी पूर्व जिला सीधी वर्तमान जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 6/ए/19(1)/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 26-11-2002 के विरुद्ध म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों विचार किया एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का परिसीलन किया। आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरुद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जबकि नायब तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">(एस. एस. अली) सदस्य</p>	